न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठसीन अधिकारी :– कंचन राठौड़ आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 325/2017 दिनांक 16.10.2017

वादीगण :–

1. चुन्नीलाल पुत्र श्री भगवानजी
2. मंगलोजी पुत्र श्री भगवानजी
3. प्रेमसिंह पुत्र श्री दुर्गोजी
4. विनोद पुत्र श्री दुर्गोजी
5. श्रीमती तुलसीदेवी बेवा श्री दुर्गोजी
6. उदयसिंह पुत्र श्री पुरखोजी
7. ब्रहमसिंह पुत्र श्री पुरखोजी
8. दीपक पुत्र श्री गोपाराम
9. प्रवीण पुत्र श्री गोपाराम
10. श्रीमती गुलाबदेवी बेवा श्री गोपाराम
11. किशनसिंह पुत्र श्री पुरखोजी
12. सीताराम पुत्र श्री पुरखोजी
13. संतोकसिंह पुत्र श्री पुरखोजी
14. विजयसिंह पुत्र से पुरखोजी

    उपरोक्त सभी निवासीगण– चुतरावता चैनपुरा मण्डोर जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।
2. जोधपुर विकास प्राधिकरण जरिये आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– **दिनांक 16.10.2017**

उपस्थिति

1. प्रार्थी वकील श्री अक्षय कुमार दवे, श्री नवीन शर्मा
2. अप्रार्थी संख्या 02 की तरफ से वकील श्री दीपसिंह भाटी

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध एक वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया हैं जिसके सबंध में प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार प्रार्थीगण चतुरावता चैनपुरा मण्डोर जोधपुर के स्थाई निवासी है। ग्राम आंगणवा पटवार क्षेत्र सुरपुरा तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 60/1 कुल रकबा 28 बीघा 9 बिस्वा भूमि जिसके उत्तर

पश्चिम हिस्से में भंवरलाल जी के वारिसान् के कब्जे में 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि, भगवान जी के वारिसान् कुल 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि व पुरखोजी के वारिसान् 13 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर काबिज है। प्रार्थीगण पीढियों से इन भूमियों पर काबिज है व काश्त करते आ रहे हैं प्रार्थीगण के पिता भगवान जी व पुरखो जी का देहान्त हो चुका है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने की दिनांक को एवम् उसके पूर्व व पश्चात् भी उक्त भगवान जी व पुरखो जी बहैसियत खातेदार काश्तकार इन भूमि पर काबिज थे। काश्त करते थे व लगान भी अदा किया करते थे। एवम् इन दोनों के देहान्त के पश्चात् प्रार्थीगण इन भूमियों पर काबिज चले आ रहे है।

बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ में प्रार्थीगण को और उनके पूर्वजों को खातेदारी अधिकार वाद ग्रस्त भूमि के बाबत प्राप्त हो गये है। प्रार्थीगण आज तक पीढ़ियों से संवत 2012 के पूर्व से लगातार शान्तीपूर्वक बिना किसी दखल वादग्रस्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार में काबिज चले आ रहे है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज से रह गया है। अतः प्रार्थीगण को यह अधिकार है कि वह वादग्रस्त भूमि के बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा न्यायालय हाजा से प्राप्त कर सकें। अभी हाल ही में दिनांक 2.3.2017 को अप्रार्थीगण के नुमाइन्दे मौके पर आए और वहां पर प्रार्थीगण के कब्जे को हटाने की कोशिश की एवं प्रार्थीगण को एलानिया धमकी दी गयी कि वे शीघ्र ही प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर देंगे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताफैशला मूल वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वह स्वयं अथवा अपनी किसी अधिकारी कर्मचारी एजेण्ट एवम् अन्य किसी के मार्फत प्रार्थीगण की खातेदारी की कब्जेशुदा भूमि पर किसी प्रकार से दखल उत्पन्न नहीं करें।

उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में प्रार्थीगण द्वारा फोटोप्रति जमाबन्दी, खसरा नम्बर 60/1 ग्राम आंगणवा सम्वत 2058–2061, खसरा परिवर्तनशील, खतौनी जमाबन्दी, ढाल–बांच, खसरा गिरदावरी, धारा 91 एल आर एक्ट के तहत दिए गये नोटिस, खसरा परिवर्तनशील 2035, 2036, 2039, 2040, 2042, 2045, 2046, 2049, जवाब नोटिस 1977, 1980, नोटिस 91 एल आर एक्ट 1983, 1980, 2003 नकल जुर्माना रसीद 2001, नकल नोटिस 2001 पेश किए। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हुए। अप्रार्थी संख्या 01 का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या 02 की तरफ से वकील उपस्थित। वकील द्वारा जवाब पेश किया गया। एवं खसरा नम्बर 60/1 ग्राम आंगणवा जमाबन्दी 2061 नामान्तरणकरण संख्या 973 ले– आउट प्लान, नक्शा वास्ते खसरा नम्बर 60/1 प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की तामील हुए चार माह से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात् कोई उपस्थित नहीं। अतः जवाब अप्रार्थी संख्या 01 बन्द किया गया।

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 151 CPC का पेश किया । अप्रार्थी संख्या 02 की तरफ से प्रार्थना पत्र Order 8 R 9 सपठित धारा 151 CPC का जवाब दिया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी। न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त एवम् प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर गुणावगुण पर विचार किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र Order 8 R 9 CPC स्वीकार किया गया व जवाबउलजवाब को रिकॉर्ड पर लिए जाने के आदेश दिये गयें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी। प्रार्थी वकील द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की। अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा भी लिखित बहस पेश की गयी। अप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं । बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयाी। प्रार्थी द्वारा न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किए गये।

1. 2006-07 (Supp.) RRT 591
(HIGH COURT)
Saraswati Devi (Smt.) vs. Maharao Brajraj Singh & Anr.
S.B. Civil Misc. Appeal No. 883 of 2006; decided on 31st January, 2007
2. 2006-07 (Supp.) RRT 598
(HIGH COURT)
Ram Gopal & Ors. vs. State of Rajasthan & Ors.
S.B. Civil Writ Petition No 6480 of 1999 ; decided on 6st Feb, 2007.
3. (Rajasthan High Court)
Jaipur Bench
Zaheer Ahmed Versus The Municipal Corporation, Jaipur
S.B. Civil Revision Petition No 578 of 1997, decided on 27th November, 1997

बहस सुनने व प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने, जवाबउलजवाब का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ग्राम आगंणवा पटवार हल्का सुरपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 60/1 रकबा 23 बीघा 09 बिस्वा बारानी प्रथम के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् से स्पष्ट है कि प्रार्थी के विरूद्ध समय–समय पर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी है। व इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का कब्जा शान्तीपूर्वक नहीं रहा है। अतः उक्त कानूनी उद्धरण इस मामले में लागू नहीं होते है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में प्रतीत होता है साथ ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का लाभ भी अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली शुमार फैशल होकर नम्बर से कम होकर शामिल मूल पत्रावली हो।

सहायक कलकटर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलकटर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर